पत्रांक– 03/Smart City–02–05/2017– /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक................

विषयः– **स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत पटना स्मार्ट सिटी लि0 कंपनी के पंजीकरण के लिए राज्यांश की राशि 2.50 करोड़ रू0 (दो करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–K-15016/157/2015-SC-I दिनांक– 28.06.2017 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत पटना शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य पटना शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास ओर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से पटना शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। विभागीय संकल्प सं0–2261 दिनांक–05.10.2017 द्वारा पटना स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी के पंजीकरण के लिए रू0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) राज्यांश के रूप में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतएव पटना स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी के पंजीकरण के लिए राज्यांश की राशि रू0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) का वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के बैंक ऑफ बड़ौदा, बोरिंग रोड, पटना के खाता नाम–BUDA SMART CITY (STATE), खाता सं0–18630100017845, IFSC Code- BARB0SRIKRI में अंतरित किया जाएगा। तदोपरांत आवश्यकतानुसार पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी" को RTGS/PFMS के माध्यम से राशि विमुक्त किया जाएगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक–256 दिनांक–26.02.19, पत्रांक–732 दिनांक–31.07.2019 एवं पत्रांक–7085 दिनांक–19.09.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी/एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि रू0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0304, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, **विपत्र कोड–48-2217030510304,** PFMS Code- 9478 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान, 0304.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय में उपबंधित राशि 200.00 करोड़ रू (दो सौ करोड़ रू मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि का व्यय पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जायेगा इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जाएगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0– 65/टि0 पर दिनांक–27/12/2019 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0– 64/टि0 पर दिनांक–26/12/2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:–03/Smart City–02–05/2017– / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:–
प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:–03/Smart City–02–05/2017– 160 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:–6/1/20
प्रतिलिपि:–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/प्रबंध निदेशक–सह–नगर आयुक्त, पटना स्मार्ट सिटी लि0, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.01.20
सरकार के विशेष सचिव।